2017/0018/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2017 (प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन)

उनवान

अजीजा बनाम ओम प्रकाश

उपस्थित :– 1. श्री विद्या शंकर गोस्वामी (अभिभाषक प्रार्थी)
2. श्री मुकुट बिहारी पारेता (अभिभाषक अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दीवानी बाबत रेस्टोर किऐ जाने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक : 22.05.2019

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दीवानी में बाबत रेस्टोर किऐ जाने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी गण की तलबी की गई।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का बहस प्रार्थना पत्र में कथन है कि उपरोक्त शीर्षक का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जो दिनांक 16.12.2016 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी दिनांक 29.08.2017 को होने पर अविलम्ब रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करने हेतु यह प्रार्थना पत्र जानकारी की तिथी से साथ में प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र अनुसार अवधि मध्य प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र रेस्टोर फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण ने अधूरे टाईटल में, मनगढन्त व मिथ्या तथ्यों के आधार पर मृतक अप्रार्थी ओम प्रकाश के विरूद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में मृतक के कायम मुकामान बनाऐ बिना प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनन मेण्टेनेबल नहीं है, और उक्त प्रार्थना पत्र के साथ खारिजी आदेश दिनांक 16.12.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी भी पेश नहीं की है। इसलिऐ उक्त प्रार्थना पत्र मेण्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2016 को खारिज हुआ है, तथा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2017 को लगभग 8 माह के लम्बे समय बाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने हमेशा से अप्रार्थीगण व उसके परिवारजन को नाजायज तंग व परेशान करते चले आ रहे है। इस न्यायालय के द्वारा इसी विवाद बिन्दु को लेकर प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 30.04.2015 को मेरिट पर खारिज की जा चुकी है। तथा प्रार्थीगण ने फिर दुबारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निगरानी इसी विवाद बिन्दु पर प्रस्तुत की है, जो दिनांक 17.11.2016 को खारिज की जा चुकी है तथा उस निगरानी के लिऐ दुबारा प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन दिनांक 16.12.2016 को खारिज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध सिविल न्यायालय इटावा में इसी विवाद बिन्दु को लेकर सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था जो प्रार्थीगण का वाद माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2018 (3) डी.एन.जे. (राज0) पेज 1178 गया है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि प्रार्थी निगराकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी दिनांक 17.12.2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने पर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी को रेस्टोर किऐ जाने हेतु प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 16.12.2016 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हुआ, तथा अब प्रार्थी निगराकार की ओर से उक्त दिनांक 16.12.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुऐ रेस्टोरेशन प्रार्थना को रेस्टोर किऐ जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र लगभग 8 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी साथ में प्रस्तुत किया है, प्रार्थी की ओर से यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 8 माह के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, तथा विलम्बता के लिऐ स्वीकार किऐ जाने योग्य कोई यथोचित कारण भी नहीं दर्शाया गया है, जिसके लिऐ कि प्रार्थी की त्रुटि क्षम्य योग्य पाई जाती हो। परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधि सम्मत रूप से उपयुक्त नहीं समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा